B.ed 1st year
unit-4, Paper-C2

शिक्षा का अधिकार

(Q) शिक्षा का अधिकार : संवैधानिक प्रावधान एवं संबंधित विमर्शों के परिपेक्ष्य में

शिक्षा का अधिकार ⟹ शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21 (क) जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4

अगस्त 2009 को संसद द्वारा पारित की तथा 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। कानून के अन्तर्गत बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं जिसमें शिक्षकों को नियुक्ति देने सम्बन्धी प्रशिक्षण आवश्यक आधारभूत ढाँचे का विकास निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश देने सम्बन्धी आरक्षण, स्कूलों में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।

* शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषताएं :—

इस अधिनियम की विशेषतायें निम्न प्रकार है —

1. 6-14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार।

2. 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के अविद्यालय और विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा।

3

3. स्थानीय निकाय ही बालकों के चिन्हांकन के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण आयोजित करेगा।

4. निजी क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय में 25% स्थान कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किए जायेंगे।

5. बच्चों को अगली कक्षा में पहुंचने से न तो रोका जायेगा न ही निकाला जायेगा और न ही बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।

6. कोई भी स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं कर सकेगा।

7. निजी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन के दौरान कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी।

8. शिक्षा के परिमाणात्मक वृद्धि के साथ-साथ बालकों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किये जायेंगे।

(A) योग्यताधारी शिक्षकों की भर्ती।

(B) विद्यालय में उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं का विकास।

(C) प्रभावी पाठ्यसामग्री का विकास

(D) शिक्षकों को सामयिक प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था

9. केन्द्रीय सरकार द्वारा ही शिक्षक प्रशिक्षण के मापदण्ड निर्धारित किये जायेंगे,

10. विद्यालय पाठ्यक्रम के निर्माण व मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

11. अधिनियम में छात्र-शिक्षक अनुपात 1:30 नि. निर्धारित किया गया है इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए 12 लाख प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी।

12. विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से बालक में ज्ञान की क्षमता का निर्माण व प्रतिभा के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा।

13. शिक्षक द्वारा बालकों को किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।

14. अधिनियम के अन्तर्गत निजी ट्यूशन प्रवृत्ति को निषेधित किया गया है।

15. शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रारम्भिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने उसको पूर्ण करने एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले शिक्षा अधिकारी द्वारा

की जायेगी जिसमें वे निम्न बातों का ध्यान रखेंगे —

(i) संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों से अनुरूपता।
(ii) बालक का सर्वांगीण विकास।
(iii) मानव अन्तः शक्ति योग्यता का निर्माण।
(iv) शारीरिक एवं मानसिक विकास।
(v) शिक्षा का माध्यम आदि।

16. इस अधिनियम का वित्तीय बोझ केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के बीच 55 : 45 के अनुपात में साझा किया जायेगा।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन देश के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, यह कानून सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और वह इसे परिवार, राज्य एवं केन्द्र की सहायता से पूरा करे।